

“बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011” के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक 272 दिनांक 12.6.19 द्वारा स्व० सकलदेव कुमार यादव, उम्र-27, पिता-श्री राम यादव, ग्रा०-चौकीटांड, पो०-चन्द्रशैली, था०+प्र०-खैरा, जमुई को दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप रू० 100000/- (एक लाख रूपए) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परिस्थिति को मद्देनजर स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा मृतक के पत्नी श्रीमती कविता कुमारी के नाम से चेक संख्या 553747 दिनांक 25.04.2019 द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, जमुई के भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 11212449705, IFSC SBIN0000097 में रू० 100000/- (एक लाख रूपए) RTGS के माध्यम से अंतरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से “बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011” के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2019 के पृष्ठ-4/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-51/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-51/2019-५१०

पटना, दिनांक :- 26-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6/11/19
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

7/11/19
(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।